जन सुनवाई का कार्यवाही विवरण

परियोजना प्रस्तावक **मैसर्स श्री गजे सिंह पुत्र श्री मधु सिंह,** की मैसनरी स्टोन कलस्टर मय खनन परियोजना, एम.एल. नं. 45/2022, का कुल खनन् क्षेत्र 1.2248 हैक्टेयर एवं कलस्टर का कुल क्षेत्रफल 10.5526 हैक्टेयर है। एम.एल. नं. 45/2022, की प्रस्तावित खनन क्षमता – 89,724 टन प्रतिवर्ष (रोम) एवं कलस्टर की उत्पादन क्षमता 6,92,899 टन प्रतिवर्ष (रोम), निकट ग्राम – बाकलियावास, तहसील – मेड़ता एवं जिला – नागौर (राजस्थान) में पर्यावरणीय स्वीकृती हेतु उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मेड़ता, जिला नागौर (राजस्थान) की अध्यक्षता में दिनांक 29.07.2024 को प्रातः 10:00 बजे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बाकलियावास परिसर, तहसील–मेड़ता एवं जिला – नागौर (राजस्थान) में आयोजित जन सुनवाई की कार्यवाही (Minutes) का विवरणः–

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसरण में कार्यालय जिला कलेक्टर, नागौर के पत्र कमांक 3917 दिनांक 19.06.2024 एवं क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल, नागौर के पत्र कंमाक RPCB/RO NGR/PUB-20/61-63 दिनांक 15.04.2024 के अनुपालना में **मैसर्स श्री गजे सिंह पुत्र श्री मधु सिंह** की मैसनरी स्टोन कलस्टर मय खनन परियोजना, एम.एल. नं. 45/2022, का कुल खनन् क्षेत्र 1.2248 हैक्टेयर एवं कलस्टर का कुल क्षेत्रफल 10.5526 हैक्टेयर है। एम.एल. नं. 45/202 की प्रस्तावित खनन क्षमता – 89,724 टन प्रतिवर्ष (रोम) एवं कलस्टर की उत्पादन क्षमता 6,92,899 टन प्रतिवर्ष (रोम), निकट ग्राम– बाकलियावास, तहसील– मेड़ता एवं जिला– नागौर (राजस्थान) में पर्यावरणीय स्वीकृती हेतु उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मेड़ता, जिला नागौर (राजस्थान) की अध्यक्षता में दिनांक 29.07.2024 को प्रातः 10:00 बजे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बाकलियावास, तहसील–मेड़ता एवं जिला – नागौर मे आयोजित की गई। जन सुनवाई में उपस्थित सभी व्यक्तियो का विवरण मय हस्ताक्षर परिशिष्ट संख्या 01 पर संलग्न है। जनसुनवाई की आम सूचना दो स्थानीय समाचार पत्र द इण्डियन एक्सप्रैस में दिनांक 16 जून, 2024 (रविवार) एवं दैनिक नवज्योति दिनांक 19 जून, 2024 (बुधवार) को प्रकाशित की गई थी जिसकी प्रति परिशिष्ट संख्या 02 पर सलंग्न है।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

जन सुनवाई के प्रारम्भ में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रंण मण्डल के क्षेत्रीय अधिकारी श्री सचिन कुमार ने सभी आंगतुको का स्वागत किया। तत्पश्चात श्रीमती पूनम, उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मेड़ता, जिला नागौर की अनुमति से जनसुनवाई प्रारम्भ की गई।

श्री सचिन कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रंण मण्डल, नागौर ने जनसुनवाई के महत्व, प्रावधान, उदेदश्य तथा परियोजना के बारे में जानकारी दी एवं परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी देने हेतु पर्यावरणीय सलाहकार को जनसुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं ग्रामवासियों/व्यक्तियो को प्रस्तावित कलस्टर खनन् परियोजना के बारे में विस्तार से अवगत कराने बाबत् आमंत्रित किया।

परियोजना प्रंबधक की ओर से खनन परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार मैसर्स उदयपुर मीन–टेक प्राईवेट लिमिटेड के पर्यावरणीय सलाहकार श्रीमती पूनम राठौड़ के माध्यम से जनसुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियो एवं ग्रामवासियो/व्यक्तियो को विस्तृत जानकारी दी। खनन परियोजना के सम्बन्ध में कलस्टर जानकारी एवं नक्शा जानकारी, परियोजना की स्थिति, लोकेशन मेप, खनन पट्टे की गूगल इमेजनरी, परियोजना की प्रमुख विशेषताएं, परियोजना का विवरण, क्षेत्र की पर्यावरण स्थिति का विवरण, परिवहनभार, पर्यावरण संरक्षण उपाय, खनन की समय सीमा समाप्ति पर भूमि का उपयोग, पर्यावरण प्रबंधन के साथ हरित पट्टिका का विकास, पर्यावरण प्रबंधन योजना (वायु, जल, ध्वनि, ठोस अपशिष्ट गुणवत्ता प्रबंधन), व्यवसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, श्रमिक कल्याण हेतु प्रस्तावित कार्य से संबंधित जानकारी प्रदान की गई। साथ ही पर्यावरण संरक्षण की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित खनन परियोजना से होने वाले प्रदूषण, उसके प्रंबधन तथा मण्डल मानको के अनुरूप रोकथाम करने के प्रस्तावित प्रयासो से अवगत कराया। साथ ही वृक्षारोपण, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सी.एस.आर.), व्यवसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के सम्बन्ध में भी जानकारी दी गई।

श्री सचिन कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रंण मण्डल, नागौर एवं श्रीमती पूनम, उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मेड़ता, जिला नागौर की ओर से जनसुनवाई में उपस्थित लोगो को अपने विचार/आपत्ति, सुझाव प्रकट करने के लिए आंमत्रित किया गया।

जनसुनवाई में उपस्थित जनसमुदाय ने प्रस्तावित परियोजना का स्वागत किया।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

जनसुनवाई से पहले, दौरान एवं जनसुनवाई के पश्चात उक्त खनन परियोजना से संबंधित कोई भी सुझाव/अभ्यावेदन/प्रार्थना पत्र लिखित एवं मौखिक रूप में प्राप्त नही हुए है।

अन्त में क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रंण मण्डल, नागौर द्वारा जनसुनवाई के दौरान ग्रामवासियो/व्यक्तियो का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद के साथ श्रीमती पूनम, उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जायल, जिला नागौर की अनुमति से पर्यावरणीय जनसुनवाई की समाप्ति की घोषणा के साथ जन–सुनवाई की कार्यवाही सम्पन्न की गई।

श्रीमती पूनम,
उपखण्ड मजिस्ट्रेट,
मेड़ता, जिला नागौर

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (नाग.)

श्री सचिन कुमार,
क्षेत्रीय अधिकारी,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रंण मण्डल,
नागौर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

उपस्थिति पंजिका

मैसनरी स्टोन खनन कलस्टर परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

प्रस्तावित मैसनरी स्टोन खनन कलस्टर परियोजना (एम.एल. नं. 45/2022, 10/2022, 11/2022, 41/2022, 42/2022, 43/2022, 44/2022, 46/2022 एवं 47/2022), कुल कलस्टर क्षेत्र– 10.5526 हैक्टेयर, कुल कलस्टर उत्पादन क्षमता– 6,92,899 टन प्रति वर्ष (रोम), आवेदक मैसर्स श्री गजे सिंह पुत्र श्री मधु सिंह, एम.एल. नं. 45/2022, प्रस्तावित खनन क्षेत्र– 1.2248 हैक्टेयर, अनुमानित खनन उत्पादन क्षमता–89,724 टन प्रति वर्ष (रोम), गांव– बाकलियावास, तहसील– मेड़ता एवं जिला – नागौर (राज.)।

स्थानः– राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बाकलियावास परिसर, तहसीलः मेड़ता, जिलाः नागौर
दिनाँकः 29.07.2024,
समयः प्रातः 10:00 बजे

क्र.म.	नाम एवं पता	मोबाइल नं.	हस्ताक्षर
1.	पूनम SDO Merta	9116830877	[signature]
2.	नवीन कुमार, RO, RSPCB	9571228128	[signature]
3.	लोकराज डोगी, AEE, RSPCB	9549828642	[signature]
4.	श्याम सिंह	9001648850	[signature]
5.	राम सिंह	9602001897	श्याम सिंह
6.	पूनम राठौड़ (UMTC)	9185086528	Poon
7.	सज्जनसिंह	6377624268	[signature]
8.	भगवानपुरी	7008904142	[signature]
9.	दिलिपसिंह	9982703457	दिलिपसिंह
10.	दगलाराम	6377624268	[signature]
11.	सुखराम	9001912075	सुखराम
12.	मनीराम	8112243275	मनीराम
13.	जोकरसिंह		जोकरसिंह
14.	चैनसिंह	9001648952	चैनसिंह
15.	माधु सिंह	9887786492	[signature]
16.	लक्ष्मण सिंह	7568582885	लक्ष्मण सिंह
17.	गंगा सिंह		गंगा सिंह

उपस्थिति पंजिका

मैसनरी स्टोन खनन कलस्टर परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

प्रस्तावित मैसनरी स्टोन खनन कलस्टर परियोजना (एम.एल. नं. 45/2022, 10/2022, 11/2022, 41/2022, 42/2022, 43/2022, 44/2022, 46/2022 एवं 47/2022), कुल कलस्टर क्षेत्र– 10.5526 हैक्टेयर, कुल कलस्टर उत्पादन क्षमता– 6,92,899 टन प्रति वर्ष (रोम), आवेदक मैसर्स श्री गजे सिंह पुत्र श्री मधु सिंह, एम.एल. नं. 45/2022, प्रस्तावित खनन क्षेत्र– 1.2248 हैक्टेयर, अनुमानित खनन उत्पादन क्षमता–89,724 टन प्रति वर्ष (रोम), गांव– बाकलियावास, तहसील– मेड़ता एवं जिला – नागौर (राज.)।

स्थानः– राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बाकलियावास परिसर, तहसीलः मेड़ता, जिलाः नागौर
दिनाँकः 29.07.2024,
समयः प्रातः 10:00 बजे

18.	सवाई सिंह	9930468552	सवाई सिंह
19.	समन्द्र राम	—	समन्दराम
20.	चुनि लाल	9529541156	चुनीलाल
21.	राम देव	8302232931	[signature]
22.	छठु राम	7976593918	छ.ठुराम
23.	काना राम	6350082356	कानाराम
24.	उमेद सिंह	6302522648	[signature]
25.	प्रहलाद सिंह राठौड़	6387044630	प्रहलादसिंह राठौड़
26.	रामदीन ओड	7726855419	रामदीन
27.	मनोहरसिंह	8769250733	मनोहर सिंह
28.	पांचाराम देवाल	7568584070	पाँचाराम
29.	सुखाराम ओड	9001912075	सुखाराम
30.	जेठूसिंह राठौड़	9521151157	जेठूसिंह राठौड़
31.	भवानीसिंह राठौड़	9785073871	भवानीसिंह
32.	चैनसिंह	9664024682	चैनसिंह
33.	प्रभुराम	9521659274	[signature]
34.	सुनिलनायक	9351352931	सुनिलनायक
35.	राजवीर	—	राजवीर

उपस्थिति पंजिका

मैसनरी स्टोन खनन कलस्टर परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

प्रस्तावित मैसनरी स्टोन खनन कलस्टर परियोजना (एम.एल. नं. 45/2022, 10/2022, 11/2022, 41/2022, 42/2022, 43/2022, 44/2022, 46/2022 एवं 47/2022), कुल कलस्टर क्षेत्र– 10.5526 हैक्टेयर, कुल कलस्टर उत्पादन क्षमता– 6,92,899 टन प्रति वर्ष (रोम), आवेदक मैसर्स श्री गजे सिंह पुत्र श्री मधु सिंह, एम.एल. नं. 45/2022, प्रस्तावित खनन क्षेत्र– 1.2248 हैक्टेयर, अनुमानित खनन उत्पादन क्षमता–89,724 टन प्रति वर्ष (रोम), गांव– बाकलियावास, तहसील– मेड़ता एवं जिला – नागौर (राज.)।

स्थानः– राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बाकलियावास परिसर, तहसीलः मेड़ता, जिलाः नागौर
दिनाँकः 29.07.2024,
समयः प्रातः 10:00 बजे

36.	आनन्द सिंह	9782214695	
37.	महावीर सिंह	9928638325	
38.	दशरथ सिंह	6375714550	Dashrath
39.	सुरेन्द्र सिंह	6375245696	Surendra
40.	सुगनसिंह	9509589150	सुगन
41.	श्रवण	9413635592	
42.	[illegible] सिंह	9454121555	
43.	किशन सिंह	9714433890	किशन
44.	दशरथ सिंह		दशरथ
45.	सुरेन्द्र सिंह		
46.	Khushi Tiwari		Khushi Tiwari
47.	Shakti	9950182478	शक्ति
48.	Jaideep	9680289898	जयदीप
49.			
50.	गजेसिंह	9785136995	गजेसिंह
51.			
52.			
53.			

देवरी धाम में पंगत प्रसादी की अनूठी परम्परा, सैकड़ों श्रद्धालु ग्रहण करते हैं प्रसाद

अन्न का एक कण और समय का क्षण, कभी व्यर्थ न गंवाएं

न्यूज सर्विस/नवज्योति, गोटन

क्षेत्र के रतकूड़िया भाकर स्थित कबीर पंथानुनायी लोकसंत भोलाराम महाराज देवरी धाम जन जन की आस्था का केंद्र हैं। यहां कई वर्षों से पंगत प्रसादी की अनूठी परम्परा चल रही जो आज भी कायम हैं। महंत रमैयादास महाराज की सद्प्रेरणा से सैकड़ों श्रद्धालु महाप्रसाद ग्रहण कर अपने को कृतार्थ कर रहे हैं। युवाचार्य संत रामदास शास्त्री ने बताया कि पंगत प्रसादी की परम्परा संत भोलाराम महाराज द्वारा देवरी धाम स्थापना के समय से चलीं आ रही हैं, जो आज भी कायम हैं। उसी परम्परा का वर्तमान महंत रमैयादास महाराज आज निर्वहन कर रहे हैं। देवरी धाम दर्शनार्थ आने वाले साधु संत, श्रद्धालु संत भोलाराम महाराज समाधिस्थल का दर्शन, परिक्रमा कर महंतश्री से आशीर्वाद लेकर भोजन भंडार में पंगत प्रसादी का धर्म लाभ लेते हैं। यहां पर दिनभर सैकड़ों श्रद्धालुओं की आवाजाही रहती हैं। बिना प्रसाद ग्रहण किये श्रद्धालुओं को नहीं जाने दिया जाता हैं। देवरी धाम के संत श्रद्धालुओं से प्रसाद पाने का बार बार आग्रह करते हैं। यहां का भोजन भंडार अनवरत चलता रहता हैं।

गोटन। देवरी धाम मंदिर परिसर में प्रसादी ग्रहण करते संत और श्रद्धालु व भोजन तैयार करते सेवादार। -कुन्दनसिंह राजपुरोहित

इस संबंध में साध्वी कैलीबाई व भंडारी बालाराम बताते हैं कि प्रसाद रुप में भोजन भंडार में रोजाना दो मण बाजरे का खींचड़ा व एक बड़ा कड़ाव कढ़ी बनता है साथ ही बाजरे का सोगरा भी बनता हैं। यहां पर खीचड़ा कूटने की मशीन हैं। रोजाना भोजन में भंडार से 1 से 2 दो क्विंटल बाजरा, 10 किलो मोठ, 12 किलो बेसन, 3 से 5 क्विंटल ईधन की खपत होती है। सभी पकवानों के पीछे राम शब्द उच्चारित होता है। एकादशी, अमावस्या, पुर्णिमा, बरसीं, मेला, उत्सवों पर लापसी, हलवा, बूंदी, भुजिया, चूरमा, सब्जी पुड़ी, मिठाई आदि पकवान् बनते हैं। कई बार श्रद्धालुओं द्वारा सवामणी का आयोजन रखा जाता हैं। आस पास ग्रामीण अंचल के किसानों, श्रद्धालुओं, भामाशाहों आदि भंडारा के लिए अनाज भेंट करते हैं। संत रामभरोस महाराज भंडार में ईधन का प्रबंधन दूर दराज के गांवों से करते हैं। संत रामपाल अनाज पिसाई का नियमित कार्य करते हैं। साधक राजू बेड़ा बताते कि हाल ही में भोजन शाला में महंत रमैयादास महाराज की प्रेरणा व भामाशाह के सहयोग से वृद्ध संतों श्रद्धालुओं के लिए टेबल कुर्सी की व्यवस्था की गई हैं। श्रद्धालु भोजन शाला में सेवाएं देते हैं। महंत रमैयादास महाराज ने कहा कि महाप्रसाद देवता को भी दुर्लभ हैं। वो मनुष्य को मिला हैं। मनुष्य को अन्न का एक कण व समय का एक क्षण कभी व्यर्थ नही गंवाना चाहिए। वहीं युवाचार्य संत रामदास शास्त्री उत्तराधिकारी देवरी धाम का कहना है कि कर्माबाई ने भगवान् श्रीकृष्ण को प्रेम भाव से खींच खिलाया। महाप्रसाद का एक एक कण अमृत समान हैं। प्रसाद रुप में खीचड़ा श्रद्धालु बड़े चाव से ग्रहण करते है।

आचरण के सौन्दर्य में ही आनंद-सुख की अनुभूति

विमलनाथ भगवान का मोक्षकल्याण दिवस मनाया

न्यूज सर्विस/नवज्योति, मकराना

वसुधरा नगर कॉलोनी के चन्द्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में विमलनाथ भगवान का मोक्षकल्याण दिवस मनाया गया। इस मौके पर गुरुवार देर शाम तक अनेक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। यहां महिलाओं द्वारा णमाकार मंत्र की जाप किया गया। साथ ही भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। मंदिर के सेवक सुनील कुमार जैन ने कहा कि सम्पत्ति और वैभव मनुष्य को सुख देंगे, यह कोरा भ्रम है।

आचरण के सौन्दर्य में ही आनंद है एवं सुख की अनुभूति मिलती है। शांत प्रकृति, पवित्र आचार एवं पवित्र विचार जीवन को श्रेष्ठ बनाते है। जीवन के सत्य को पाने के लिये संघर्ष उसकी मलिनताओं को दूर करे। धर्मसभा के समापन के बाद मंदिर प्रशासन की ओर से प्रभावना का वितरण किया गया। इस मौके पर प्रकाश डोसी, सतीश ढीलवारी, सुरज डोषी, नवीन पाण्डया, संदीप गोधा, विमल पहाड़िया, पवन कठेरिया, कमल पहाड़ियां, अतिशय जैन, रिषभ महेतिया, विमल महेतिया, अनिल जैन, रुपेश साहुला, गिरीश बरेठ, पवन पाण्डया, तिलका देवी डोसी, मैना देवी पहाड़ियां, प्रभा लता पाण्डया, सरिता पहाड़ियां, सुनिता कठेरिया, मनीषा डोसी, रेखा पाण्डया, मधु महेतिया, मनु प्राची जैन, मधु महेतिया, आरती साहुला, अंजू पहाड़ियां, आशा बरेठा, ऊषा महेतिया, शालिनी जैन, वंदना जैन, बीना पाटनी, खुशी डोसी, नेहल पाण्डया आदि उपस्थित रहे।

वीर तेजा विद्या मन्दिर, उच्च माध्यमिक विद्यालय, गौरेड़ी चांचा, डेगाना जं.

------: आवश्यकता :------

निम्न विषयों में व्याख्याताओं एवं सामान्य अध्यापकों की आवश्यकता है। जीव विज्ञान, भूगोल, अंग्रेजी, अनिवार्य हिन्दी, हिन्दी साहित्य तथा वरिष्ठ अध्यापक पद में विज्ञान, संस्कृत, हिन्दी, अंग्रेजी एवं सामाजिक विषय के एक-एक अध्यापक एवं 5 सामान्य अध्यापक व एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की आवश्यकता है। जिसमें पात्रता रखने वाले सम्पर्क करें।

राजूदेवी सचिव धन्नाराम डूडी प्रधानाचार्य
सम्पर्क सूत्र = 9982319760, 8005723759

DNA321514

कार्यालय नगरपालिका मण्डल, मेड़ता सिटी (नागौर)

टेलीफोन नं. 01590-220012 | **लोक सूचना** | ई-मेल-npmetracity@gmail.com

क्रमांक : न.पा.मे. / 952 | दिनांक : 28.06.2024

नगरपालिका मेड़ता सिटी द्वारा निम्न आवेदक की इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर-कृषक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् -

पत्रावली संख्या	जिले व तहसील का नाम	आवेदक का नाम व पता	ग्राम का नाम व खसरा नं.	क्षेत्रफल (हैक्टेयर)	प्रयोजन
89/2024-25	नागौर तहसील मेड़ता	असलम व आरीफ पिसरान अब्दुल रसीद जाति सिपाही निवासी मेड़ता सिटी	मेड़ता के खसरा नम्बर 6797/6590	रकबा 0.9006 हैक्टेयर	आवासीय प्रयोजनार्थ श्री किशन नगर-ए
90/2024-25	नागौर तहसील मेड़ता	मनसुब पुत्र अब्दुल रसीद जाति सिपाही निवासी मेड़ता सिटी	मेड़ता के खसरा नम्बर 6798/6590	रकबा 0.9404 हैक्टेयर	आवासीय प्रयोजनार्थ श्री किशन नगर-बी
91/2024-25	नागौर तहसील मेड़ता	मोहम्मद उमर पुत्र अब्दुल रसीद जाति सिपाही निवासी मेड़ता सिटी	मेड़ता के खसरा नम्बर 6799/6590	रकबा 0.7019 हैक्टेयर	आवासीय प्रयोजनार्थ श्री किशन नगर-सी
92/2024-25	नागौर तहसील मेड़ता	जब्बरचन्द पुत्र श्री रामचन्द्र जाति माली निवासी मेड़ता सिटी	मेड़ता के खसरा नम्बर 6721/3595	रकबा 0.4719 हैक्टेयर	आवासीय प्रयोजनार्थ बाबा रामदेव नगर-सी

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है, तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है, और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 28.06.2024 को जारी की गई है।

प्राधिकृत एवं अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका मेड़ता सिटी

DNA 321486

अच्छी कर्मों से ही मनुष्य जन्म लेने की सार्थकता

आर्यिका नन्दीश्वरमती माताजी ने कराया भक्ति सरिता में अवगाहन

न्यूज सर्विस/नवज्योति, कुचामनसिटी

मनुष्य कुल में जन्म लेने की सार्थकता अच्छे कर्म करने से है। जैसा होगा खानपान-वैसा ही होगा खानदान। अच्छा होगा भोजन तो ही कर पायेंगे भजन, अच्छा होगा मन तभी होंगे प्रभु दर्शन। शहर के जैन भवन में शुक्रवार को श्रद्धालुओं को प्रवचनामृतपान कराते हुए जैन साध्वी आर्यिका नन्दीश्वरमती माताजी ने यह बात कही। माताजी ने कहा कि इन्द्रियों को वश में करो, इनके अधीन मत बनो। दूसरो के गुणों को देखो और स्वयं के दोषों को, स्वभाव को आलोचना का नहीं मधुर व्यवहार का बनाओ।

माताजी ने प्रवचन के दौरान एक प्रसंग में कहा कि गर्भवती अवस्था में राजरानी महासती सीता को जंगल में भेजने पर उन्होंने कहा कि ये किसी का नहीं मेरे कर्मों का दोष है।

नन्दीश्वरमती माताजी ने गुरू-शिष्य के संबंधों को एकलव्य-द्रोणाचार्य दृष्टान्त के साथ अत्यन्त भावनात्मक रूप से समझाया। अजमेरी मन्दिर अध्यक्ष जयकुमार पहाड़िया ने बताया कि प्रतिदिन प्रातः 8:15 बजे आर्यिका माताजी के मंगल प्रवचन एवं सांय 7.15 बजे समाज द्वारा संगीतमय आरती एवं संघस्थ बा.ब्र. दीपा दीदी द्वारा आनन्द यात्रा के माध्यम से धर्म प्रभावना की जा रही है। अजमेरी मन्दिर प्रवक्ता अशोक गंगवाल ने बताया की मंगल प्रवचन में नथमल गंगवाल, लालचन्द पहाड़िया, जयकुमार पहाड़िया, चिरंजीलाल पाटोदी, राजकुमार सेठी, अजय पाटोदी, नेहरू पहाड़िया, संजय सेठी, संतोष कुमार पहाड़िया, विकास बज, बाबुलाल पहाड़िया, देवेन्द्र पहाड़िया, महेन्द्र पहाड़िया, तेज कुमार बड़जात्या, कैलाशचन्द पाण्ड्या, विमल झांझरी, निर्मल सोमानी, अमित पाटोदी सहित बड़ी संख्या में स्त्री-पुरूष श्रद्धालु मौजूद रहे।

बादल छाए, उमस से राहत

मकराना। कस्बे में शुक्रवार को दिनभर बादल छाए रहे, जिससे लोगों को उमस से काफी राहत मिली। शाम करीब 6 बजे हल्की बुंदा बांदी से मौसम की गर्मी में काफी कमी दर्ज की गई। पिछले कई दिनो से मौसम में लगातार परिवर्तन हो रहा है इस परिवर्तान के कारण ही कभी धूल भरी हवाओं का दौर चलता है तो कभी सूर्यदेव के तिखे तेवर आमजन को अपनी तेज गरमी से झकझोर रहे है। शाम के समय बुंदा बांदी के साथ हवाएं चलने से लोगों को गर्मी से राहत मिली।

आज बंद रहेगी बिजली

मेड़ता सिटी। आवश्यक रखरखाव कार्य के तहत शनिवार को शहर में विभिन्न जगहों पर 4 घंटें बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। शहर सहायक अभियंता कैलाशचंद जैन ने बताया कि 29 जून को रेणी गेट फिडर पर नया विद्युत ट्रांसफार्मर लगाने के लिए शिफ्टिंग कार्य के तहत प्रात: 8 बजे से दिन में 12 बजे तक संगम विहार, कादरी कॉलोनी, नटराज होटल, राजपैलेस होटल, गणगौर चौक, रेण बायपास, आखलिया, जय श्री नगर, मूथा नाडी, बिजांडा रोड, आदि जगहों पर बिजली आपूर्ति बंद रहेगी।

हेतुक दर्शित करने के लिए सूचना
(साधारण प्रारूप)
(व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4)

अदालत उपखण्ड अधिकारी महोदय नावां, डीडवाना-कुचामन

प्रार्थना पत्र संख्या : 144/2024

प्रार्थी- सुरेशराम पुत्र श्रवणराम, जाति जाट, निवासी गेनणों की ढाणी, पीपराली, तहसील नावां, जिला डीडवाना-कुचामन, राजस्थान।

बनाम

अप्रार्थी संख्या- 1. हीरालाल पुत्र श्योराम, जाति जाट, निवासी खाखोली, तहसील डीडवाना, जिला डीडवाना-कुचामन, राजस्थान।

आपको जरिए समाचार-पत्र सूचित किया जाता है कि सुरेशराम पुत्र श्रवणराम, जाति जाट, निवासी गैनणों की ढाणी, पीपराली, तहसील नावां, जिला डीडवाना-कुचामन, राजस्थान बनाम हीरालाल पुत्र श्योराम, जाति जाट, निवासी खाखोली, तहसील डीडवाना, जिला डीडवाना-कुचामन, राजस्थान वगैरह का प्रार्थना-पत्र उपखण्ड न्यायालय नावां में विचाराधीन है। उसमें आप पक्षकार हैं। आपको कोई उज्र एवं ऐतराज हो तो सुनवाई हेतु दिनांक 31.07.2024 को अपना पक्ष असालतन/वकालतन प्रस्तुत करें, अन्यथा एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। अत: यह सूचना निम्न हस्ताक्षरकर्ता के मय सील मोहर के दिनांक 24.06.2024 को जारी की गई।

मोहर | उपखण्ड अधिकारी, नावां (डीडवाना-कुचामन)

DNA 321515

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिस लाइन के सामने,
नागौर- 341001 (राज.), ई-मेल-rorpcb.nagaur@gmail.com

क्रमांक : राप्रनिम/आरओ-नागौर/ पी.यू.बी.-188/ | दिनांक : ....

पर्यावरणीय स्वीकृति चाईना क्ले (अप्रधान खनिज) खनन क्लस्टर परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ''प्रस्तावित चाईना क्ले (अप्रधान खनिज) खनन क्लस्टर परियोजना'' जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है-

Sr.No.	Lease	ML No.	Plot No.	Area	ROM (TPA)
1.	Sh. Gaje Singh S/o Sh. Madhu Singh	45.2022	60	1.2248	89,724
2.	M/s A.R.G. Enterprises (Prop. Sh. Harshit Godara)	10.2022	56	1.2458	155,175
3.	Smt. Sukhi Devi W/o Sh. Nimba Ram	11.2022	57	1.1568	143,250
4.	M/s A.R.G. Enterprises (Prop. Sh. Harshit Godara)	41.2022	53	1.0647	94,375
5.	M/s A.R.G. Enterprises (Prop. Sh. Harshit Godara)	42.2022	54	1.0914	91,250
6.	M/s A.R.G. Enterprises (Prop. Sh. Harshit Godara)	43.2022	55	1.3041	119,125
7.	Sh. Babu Lal Khadav	44.2022	--	1.2490	--
8	Sh. Babu Lal Khadav	46.2022	--	1.1230	--
9.	Sh. Babu Lal Khadav	47.2022	--	1.0930	--
	Total			10.5526	692,899

1. आवेदक मैसर्स श्री गजे सिंह पुत्र श्री मधु सिंह, एम.एल.नं. 45/2022, कुल क्लस्टर क्षेत्र 10.5526 हेक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता-6,92,899, प्रस्तावित खनन क्षेत्र 1.2248 हेक्टेयर, अनुमानित खनन उत्पादन क्षमता 89.724 TPA (ROM) (Saleable Mineral - 80,752 TPA, Waste- 8,972 TPA), गांव- बाकलियावास, तहसील-मेड़ता, जिला - नागौर से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक चेजा पत्थर (अप्रधान खनिज) क्लस्टर खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि मैसर्स श्री गजे सिंह पुत्र श्री मधु सिंह ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
3. उक्त समूह खनन परियोजना से सम्बन्धित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है-
   1. जिला कलक्टर, नागौर।
   2. CEO जिला परिषद् नागौर।
   3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4- संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
   4. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
   5. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर।
   6. उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता।
   7. तहसीलदार, मेड़ता।
   8. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर।
   9. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर।
   10. ग्राम पंचायत, बाकलियावास।
   11. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बाकलियावास, तहसील- मेड़ता, जिला - नागौर।

अत: सर्व साधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक न्याय / प्रदूषण/ज.सु. 2024/3917 दिनांक 19.06.2024 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 29.07.2024 को प्रात: 10.00 बजे, स्थान- राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बाकलियावास परिसर, तहसील - मेड़ता, जिला - नागौर में उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस संबंध में लिखित आक्षेप / सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर, जिला-नागौर को भी दिए जा सकते हैं।

सचिन कुमार, पर्यावरण अभियन्ता एवं क्षेत्रीय अधिकारी

DNA-321472

गौ सेवार्थ हर संभव सहयोग का भरोसा

युवा हिन्दू गौ रक्षा सेवा समिति का मनाया स्थापना दिवस

न्यूज सर्विस/नवज्योति, मकराना

युवा हिन्दू गौ रक्षा सेवा समिति की ओर से गौ माता सर्किल पर संचालित गौवंश चिकित्सालय में शुक्रवार को समिति का 9वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर सर्वप्रथम विजय कुमार व लढा परिवार के सदस्यों गौ माता की पूजा अर्जना की गई। इसके पश्चात समिति की ओर से यहां पौधरोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। समिति द्वारा सेवा केंद्र पौधों की सुरक्षा के लिए चारों ओर तारबंदी की व्यवस्था की गई। इस दौरान समिति के प्रांगण समिति संरक्षक मोहन सिंह चौहान, विजय कुमार लढा, दिलीपसिंह राठौड़, संस्थापक पूरणमल (सुरेश कुमावत), अध्यक्ष अकिंत तंवर, महावीर पारीक, बजरंगसिंह मंडोवरी द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। साथ ही वक्ताओं ने समिति पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की ओर से गौ सेवा के लिये किये जा रहे कार्यो की प्रशंसा करते हुए गौ सेवार्थ हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। संस्था के संस्थापक पूर्णमल उर्फ सुरेश कुमावत ने संस्था की ओर से किये जा रहे सेवा कार्यो पर विस्तार से रोशनी डाली और बताया कि बीमार गायों के ऑपरेशन के लिये एक आधुनिक ऑपरेशन कक्ष बनाने का कार्य किया जा रहा है। बीमार गायों की चौबीस घण्टे देख भाल के लिये कर्मचारियों सहित पशुधन सहायक की भी नियुक्ति कर दी गई है। साथ ही आमजन गौ सेवा के लिये सहयोग का आग्रह किया। संस्थाध्यक्ष अंकित तंवर ने गौ सेवा के लिये आगे किये जाने वाले कार्यो को लेकर कार्य योजनाओं के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान गौ सेवार्थ सहयोग करने वालों का समिति की ओर से सम्मानित किया गया। इस तत्पश्चात पीड़ित पशु पक्षी के तीन आधुनिक पिंजरे निर्माण के लिए भामाशाहों ने अलग अलग घोषणाएं की। जिसके तहत आईसीयू वार्ड व स्टॉप के रहने के लिए एक रूम का निर्माण पूर्व में करवा चुके गोविन्द मार्बल्स किशनगढ़ के सुरेश मूंदड़ा व परिवार द्वारा आज फिर से पिंजरा, चौहान परिवार द्वारा पूर्व सरपंच जूसरी स्वर्गीय गोपीराम चौहान की स्मृति व सुभाष नगर निवासी हनुमानलाल किसान कुमावत परिवार द्वारा भी पिंजरा बनाने की घोषणा की गई। इसी प्रकार मंगलना रोड स्थित गौमाता सर्किल निर्माण के लिए गौमाता की मूर्ति की घोषणा अल्पेश शर्मा व नवीन शर्मा सादड़ी (पाली) निवासी द्वारा की गई। मकराना विकास समिति अध्यक्ष दिलीप सिंह दिलढाणी द्वारा मार्बल लगाने की घोषणा की गई। इस दौरान पर सुरेन्द सोनी, संजय धारीवाल, शंकरलाल सोलंकी, अरुण सोलकी, रणवीरसिंह राठौड़, रणजीतसिंह राजपुरोहित, सीए राजीव सोलंकी, प्रकाश चौहान, अभिमन्यु शेखावत, सुरेन्द कोठरी, भरत कोचर, कृष्णा लढा, मोहम्मद जबीर गैसावत, कपिल तिवाड़ी, बाबूलाल सोलंकी, श्याम कुमावत, देवेंद्र सैनी, नवीन सोलंकी, मनोज प्रजापत, विकास सांखला, अभिषेक सैनी, येस सैनी, पशुधन सहायक मुकेश रैगर, दीपाराम मेघवाल, कलम चौधरी आदि मौजूद थे।

मकराना। गौ सेवार्थ सहयोग करने वालों का सम्मान युवा हिन्दू गौ रक्षा सेवा समिति के पदाधिकारी। -रहीम भाटी।

ब्रह्मलीन होने वाली पुण्यात्माओं के प्रति अपनी संवेदनाओं को प्रकट करें

डिस्प्ले विज्ञापन
- तीये की बैठक
- श्रद्धांजलि
- पुण्यतिथि

प्रिय पाठकों के लिए विशेष रियायती दरें

साइज (वर्ग से.मी.)	दर (रंगीन)
5×8	2000/-
8×8	3200/-
10×8	4000/-
सभी दरों के अलावा 5% जीएसटी अतिरिक्त	

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें -
दैनिक नवज्योति 9251097010

जोधपुर- मउ सहित पांच जोड़ी ट्रेनों की संचालन अवधि में विस्तार

मेड़ता रोड। रेलवे की ओर से यात्रियों की मांग पर स्पेशल ट्रेनों के संचालन अवधि में विस्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार जोधपुर मउ साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का जोधपुर से 7 जुलाई से 28 जुलाई तक, मउ से 9 जुलाई से 30 जुलाई तक, जोधपुर मउ का 6 से 27 जुलाई तक, मउ से 8 से 29 जुलाई तक चार ट्रिप, ट्रेन भगत की कोठी- हरिद्वार का भगत की कोठी से 4 से 25 जुलाई तक, हरिद्वार से 5 से 26 जुलाई तक चार ट्रिप, ट्रेन बाड़मेर- मुनाबाव का एक जुलाई से 31 दिसंबर तक विस्तार किया गया हे। इसी प्रकार काचीगुड़ा-लालगढ़ ट्रेन का काचीगुड़ा से 6 जुलाई से 28 सितंबर व लालगढ़ से 9 जुलाई से 1 अक्टूबर तक तक विस्तार किया गया है।

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र अल्ताफ हुसैन के विद्यालय रिकॉर्ड में पिता का नाम मोहम्मद जावेद से बदलकर जावेद अली और माता का नाम कलसुम बानो से बदलकर कलसुम दर्ज करवाना चाहता हूं। भविष्य में इसी नाम से जाना और पहचाना जाए। जावेद अली पुत्र मेहबूब अली, निवासी डीडवाना, जिला डीडवाना-कुचामन।

मैं रामदेव पुत्र फताराम, निवासी हुकमपुरा, तहसील परबतसर। मेरी बहनें पपू देवी और नानी देवी ने अपना नाम बदलकर प्रिया और नैंना रख लिया है। अत: आज से दोनों बहनों को नए नाम से ही जाना पहचाना जाए।

✓मेरा वास्तविक नाम संतोष देवी पुत्री शिवराम है लेकिन भारतीय जीवन बीमा निगम की पॉलिसी संख्या 501391814 में भूलवश घरेलू नाम सरिता दर्ज हो गया है, जो गलत है। भविष्य में मुझे संतोष देवी पत्नी रामनिवास जाट निवासी-टोडास, हाल निवासी-भीराणा लोसल, तहसील-धोद, जिला-सीकर के रूप में जाना-पहचाना जाए।

प्रपत्र संख्या-7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, अजमेर संभाग, अजमेर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18(2) के अधीन नोटिस समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों का (नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)
कार्यालय : राजस्थान लोक सेवा आयोग के सामने, कांकरदा-भूणाबाय, जयपुर रोड, अजमेर
मुकदमा नम्बर: 109/नागौर/2024

चूंकि श्री कानाराय अध्यक्ष ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 की धारा 17 के अन्तर्गत श्री कृष्ण गौरक्षा शिविर संस्थान हरसोलाव, तहसील मेड़ता, जिला नागौर के पंजीयन हेतु प्रन्यास के संबंध में जांच किए जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।

अतएवं धारा 18 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास, जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 60 दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के संबंध में आपत्तियां, यदि कोई हों तो प्रस्तुत करें।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गईं तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जाएगा तथा जांच प्रपत्र मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जाएगा। आज दिनांक 24.06.2024 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मोहर के अधीन जारी किया गया।

आगामी तारीख पेशी 02.09.2024

मोहर | गिरीश कुमार बचानी, सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, अजमेर

DNA 321507

प्रपत्र संख्या-7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, अजमेर संभाग, अजमेर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18(2) के अधीन नोटिस समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों का (नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)
कार्यालय : राजस्थान लोक सेवा आयोग के सामने, कांकरदा-भूणाबाय, जयपुर रोड, अजमेर
मुकदमा नम्बर : 108/नागौर/2024

चूंकि श्री मोहनराय सिंवर अध्यक्ष ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 की धारा 17 के अन्तर्गत श्री सीताराम गौशाला समिति, गुणशली (किरोदा), तहसील डेगाना, जिला नागौर के पंजीयन हेतु प्रन्यास के संबंध में जांच किए जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।

अतएवं धारा 18 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास, जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 60 दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के संबंध में आपत्तियां, यदि कोई हों तो प्रस्तुत करें।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गईं तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जाएगा तथा जांच प्रपत्र मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जाएगा। आज दिनांक 24.06.2024 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मोहर के अधीन जारी किया गया।

आगामी तारीख पेशी 02.09.2024

मोहर | गिरीश कुमार बचानी, सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, अजमेर

DNA 321505

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिस लाइन के सामने,
नागौर- 341001 (राज.), ई-मेल-rorpcb.nagaur@gmail.com

क्रमांक : राप्रनिम/आरओ-नागौर/ पी.यू.बी.-188/ | दिनांक : ....

पर्यावरणीय स्वीकृति चाईना क्ले (अप्रधान खनिज) खनन क्लस्टर परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ''प्रस्तावित चाईना क्ले (अप्रधान खनिज) खनन क्लस्टर परियोजना'' जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है-

S. No.	Name of the Project Proponent	ML.No.	Area (Hect.)	Production Capacity	Project Cost (In Cr.)
1.	SH. NATHU RAM, SH. NEMA RAM AND SITA DEVI R/O:- Village Basin Kachchhawa, Tehsil: Merta District- Nagaur (Raj.) Pin- 341024 Email:nathuram042018@outlook.com	4/2018	2.5254	340575 TPA (ROM) (Mineral 73875 TPA, Top Soil-40500 TPA and Waste 226200 TPA) China Clay	0.60
Mines Granted After 9.9.13					
2.	Sh. Paburam S/o Sh Shimbhuram R/O-135, Village Basin Kachchhawa, Tehsil: - Merta District- Nagaur	03/2021	1.96806	125300 TPA ROM (Sailbble Chaina Clay-62, 550TPA, Sailable Silica sand 39060 TPA, Waste-23690 TPA	0.70
3.	Smt. Nandu Kanwar W/o Sh. Bahadur Singh	81/2019	1.96885	58001 TPA ROM	2.0
4.	Sh. Govind Singh S/o Sh. Bhanwar Singh Rajput	16/2019	1.68808	428350 TPA ROM	0.50
5.	Sh. Paburam S/o Sh Shimbhuram	03/2021	1.96806	125300 TPA ROM	0.70
6.	Cancel Lease	53/2014	3.98076	0.0	0.0
7.	Smt Sohni Devi, Sh. Mahipal Ram	76/19	3.55106	96602 TPA ROM	2.5
8.	Sh. Gulab Nath & Co-applicant	19/18	2.71705	330030 TPA ROM	2.0
9.	Sh. Nathu Ram	11/20	1.12806	40497 TPA ROM	1.0
10.	Sh. Nar Singh Ram	95/19	3.97968	89250 TPA ROM	2.5
11.	Sh. Rupa Ram	111/19	1.0459	29605 TPA ROM	1.0
Mines granted after 9.9.13 with EC					
12.	M/s Jai Baba Mines & Minerals	21/14	4.1592	31850 TPA	1.0
13.	M/s Bajrang Clays	25/13	4.2543	34950 TPA	0.2
14.	M/s Ujjawal Didel	17/14	4.0085	17375 TPA	0.25
15.	M/s Narayan Ram Jat	12/13	4.108	30000 TPA	0.22
16.	M/s Shankar Ram	38/13	4.2875	22612 TPA	0.25
17.	M/s Baba Bharthari Mines & Minerals	55/13	4.2257	30000 TPA	0.22
18.	M/s Dharti Dhan Mines	5/14	4.0126	14300 TPA	0.22
19.	M/s Sita Devi	47/13	4.7804	18002 TPA	0.20
20	M/s Jai Khera Mines & Minerals	60/13	4.784	18008 TPA	0.25
21.	M/s Sati Mata Mines & Minerals	4/14	4.2423	30000 TPA	0.25
22.	M/s Mahalaxmi Mines & Minerals	16/12	4.0	10050 TPA	1.05
23.	Sh Hira Das	18/2019	1.73	50000 TPA ROM	0.50
24.	Sh. Keilash Dukiya	60/2019	1.0	49793 TPA ROM	0.50
	TOTAL		74.1454	18,95,150 TPA ROM	18.13

2. आवेदक श्री नाथुराम, श्री नेमा राम और श्रीमति सीता देवी, एम.एल.नं. 04/2018, कुल क्लस्टर क्षेत्र - 74.1454 हेक्टेयर, (प्रस्तावित खनन् क्षेत्र 2.5254 हेक्टेयर) अनुमानित खनन उत्पादन क्षमता 340575 टीपीए (रोम) (खनिज- 73875 टीपीए, मिट्टी- 40500 टीपीए और अपशिष्ट- 226200 टीपीए), गांव- बासनी कच्छावा, तहसील-मेड़ता, जिला-नागौर से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक चाईना क्ले (अप्रधान खनिज) क्लस्टर खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
3. और चूंकि मैसर्स श्री नाथुराम, श्री नेमा राम और श्रीमति सीता देवी ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आषय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
4. उक्त समूह खनन परियोजना से सम्बन्धित समूह EIA / EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालय में अवलोकनार्थ उपलब्ध है -
   1. जिला कलक्टर, नागौर।
   2. CEO जिला परिषद् नागौर।
   3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4- संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
   4. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
   5. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर।
   6. उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता।
   7. तहसीलदार, मेड़ता।
   8. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर।
   9. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर।
   10. ग्राम पंचायत, बासनी कच्छावा।
   11. राजकीय प्राथमिक विद्यालय बासनी कच्छावा, तहसील- मेड़ता, जिला-नागौर।

अत: सर्व साधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक न्याय / प्रदूषण / ज.सु. 2024/3943 दिनांक 19.06.2024 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 29.07.2024 को दोपहर 02.00 बजे, स्थान- राजकीय प्राथमिक विद्यालय बासनी कच्छावा परिसर, तहसील- मेड़ता, जिला-नागौर में उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। इस संबंध में लिखित आक्षेप / सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर, जिला- नागौर को भी दिये जा सकते हैं।

सचिन कुमार, पर्यावरण अभियन्ता एवं क्षेत्रीय अधिकारी

DNA-321473

एक शाम बाबा श्याम के नाम भजन संध्या का आयोजन

गोटन (कासं)। कस्बे में रात्रि को एक शाम बाबा शाम के नाम भजन संध्या का आयोजन हुआ है। कस्बे के शिव रोड स्थित श्री गणेश श्रृंग मन्दिर में श्री श्याम मित्र मंडल एवं श्री श्याम महिला मित्र मंडल द्वारा भजन संध्या का आयोजन किया गया जिसमें दिल्ली से आए विजय कुमार शर्मा व अजमेर की भजन कलाकार पिंकी गहलोत ने बाबा श्याम के मधुर भजनों की प्रस्तुतियां दी जिस पर भक्त झुमने लगे। भजन संध्या के दौरान श्री श्याम मित्र मंडल व महिला मंडल द्वारा श्री श्याम का आलौकिक श्रृंगार कर भव्य दरबार सजाया गया साथ ही छप्पन भोग, इत्र वर्षा व अखंड ज्योत के कार्यक्रम हुए। इस दौरान सैकडों श्रध्दालुओं ने अखंड ज्योत के दर्शन कर भजन संध्या का आनन्द लिया।

जैन धार्मिक शिविर के विजेताओं को पुरस्कृत किया

गोटन (कासं)। कस्बे में महावीर कॉलोनी स्थित जैन रतन हितेषी स्वाध्याय भवन में बालिका मंडल एवं महिला मंडल के तत्वावधान में आयोजित धार्मिक शिविर का समापन अध्यक्ष हंसराज चोपड़ा व अभय कुमार लोढा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। महिला मंडल व बालिका मंडल धार्मिक शिविर में भाग लेने वाले को प्रस्तति पत्र व पारितोषिक देकर सम्मानित किया गया। मंत्री कुंदन ओस्तवाल ने इस शिविर के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर समाज के नागरिक एवं बालक बालिकाऐ उपस्थित थे।

क्रिकेट प्रतियोगिता का फीता काटकर उदघाटन

गोटन (कासं)। निकटवर्ती गाँव शिव में श्री नवल स्वामी खेल मैदान में श्री सहजराम बाबा किकेट प्रतियोगिता का फीता काटकर उदघाटन हुआ। आयोनकर्ता

शैतानराम व विष्णु वैष्णव ने बताया कि प्रतियोगिता का स्थानीय जनप्रतिनिधियो ने फीता काटकर प्रतियोगिता की शुरुआत की। उदघाटन मैच कलरू व छापरी टीम के बीच खेला गया जिसमें छापरी टीम के टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 127 रन का लक्ष्य रखा ज़वाब में उतरी टीम को 8 रन से मैच हरा कर विजय हुई। इस दौरान समाजसेवी ललितसिंह चारण, रोल चांदावता सरपंच अर्जुनराम गुर्जर, कलरू सरपंच अशोक मेघवाल व रिंया श्यामदास सरपंच प्रतिनिधि महेंद्र कड़ेला व स्थानीय पूर्व क्रिकेटर चक्रवर्ती सिंह चारण पपुराम पूनियां, मंगलाराम पूनियां, बाबू राम भाटी का आयोजन समिति द्वारा माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर ग्रामीण लक्ष्मण बिकूंदीयां, अरविंदसिंह, अनिलसिंह, कैलाश, जितेंद्र, बाबूराम, प्रकाशराम, राजा पूनिया, भागराम, बबलू बिकुंदिया अनेक खिलाडी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्णय से किसानों में हर्ष

जयपुर (निसं)। राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है जो यहां की अर्थव्यवस्था में कृषि और किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका को सदियों से संजोए हुए है। यहां की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, जो देश की सामाजिक, अर्थिक और सांस्कृतिक धारा को प्रभावित करती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और राज्य में कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तत्पर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण और सराहनीय कदम उठाया है। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राजस्थान किसानों को मिलने वाले वार्षिक राशि को 6000 रुपए से 8000 रुपए करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इस कदम से राजस्थान के लाखों किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से को गई थी। इसके तहत किसानों को 6000 रुपए वार्षिक राशि तीन किस्तों में दी जाती हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस योजना को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए राज्य स्तर पर और अतिरिक्त 2000 की सहायता राशि देने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा किसानों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध है और राज्य में कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तत्पर है। इस निर्णय से राज्य के किसानों को सीधा आर्थिक लाभ होगा। अतिरिक्त 2000 रुपए की सहायता राशि से किसानों को दैनिक जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी और वे खेती के लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था कर सकेंगे। आर्थिक वित्तीय सहायता मिलने से किसान उन्नत बीज, खाद, कीटनाशक और सिंचाई के आधुनिक तरीकों का उपयोग कर सकेंगे। इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी और किसानों की आय में सुधार होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों की समस्याओं को समझते हुए इस योजना में वृद्धि की। जिससे उनकी स्थिति में सुधार होगा और वे अधिक सशक्त बनेंगे।

बाल श्रम रोकथाम अभियान के तहत 30 जून तक विशेष अभियान

नागौर (निसं)। जिला स्तरीय बाल श्रम की रोकथाम हेतु गठित टास्क फोर्स की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित की अध्यक्षता में आयोजित हुई। जिसमें बताया कि जिले में 1 जून से 30 जून तक बाल श्रम की रोकथाम हेतु उमंग.3 विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिसके तहत 12 जून को अंतरराष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस पर बाल श्रम की रोकथाम हेतु पोस्टर का विमोचन कर विभिन्न सरकारी कार्यालयों व संस्थानों में पोस्टर का वितरण किया गया एवं बाल श्रम के विरुद्ध जागरूक हेतु श्रम निरीक्षकों द्वारा विभिन्न संस्थाओं से बाल श्रम नहीं करने से संबंधित 33 संस्थाओं से वचन पत्र भरवाए गए।

इस दौरान सहायक श्रम आयुक्त द्वारा जिले में श्रम विभाग द्वारा मानव तस्करी विरोधी यूनिट द्वारा विभिन्न संस्थाओं और होटलो पर कार्यरत बाल श्रमिकों को मुक्त करवाकर जिला बाल कल्याण समिति को सौंपने की रिपोर्ट दी गई।

बैठक में जिला कलेक्टर ने कहा कि पुलिस विभाग थाना स्तर पर गठित बाल कल्याण अधिकारी, सदस्यों एवं मानव तस्करी विरोधी यूनिट द्वारा होटलों, ढाबों, कारखानों, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन व ईंट भट्टों आदि पर कार्रवाई करते हुए बाल श्रम रोकने की प्रभावी कार्यवाही करें। साथ ही अवमुक्त कराए गए बाल श्रमिकों के नियोजकों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर चालान प्रस्तुत कर जुर्माना भी लगाएं। इस दौरान उन्होंने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को मानव तस्करी विरोधी यूनिट द्वारा मुक्त करवाए गए बाल श्रमिकों का चिकित्सा परीक्षण करवाकर उसकी रिपोर्ट श्रम विभाग को भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बाल अधिकारिता विभाग जिले की बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत व अवमुक्त बाल श्रमिकों की सूचना प्रतिमाह श्रम विभाग को भेजना सुनिश्चित करें। साथ ही शिक्षा विभाग भी स्कूलों में प्रभावी मॉनिटरिंग करते हुए 30 दिन से अधिक अनुपस्थित रहने वाले बालकों की सूची बनाकर प्रभावी मॉनिटरिंग करें।

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड़, पुलिस लाइन के सामने,
नागौर- 341001 (राज.), इ-मेल-rorpcb.nagaur@gmail.com

LiFE Lifestyle for Environment

क्रमांकः- राप्रनिम / आरओ-नागौर/पी. यू.बी. - 188 / दिनांकः

पर्यावरणीय स्वीकृति चाईना क्ले (अप्रधान खनिज) खनन क्लस्टर परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि "प्रस्तावित चाईना क्ले (अप्रधान खनिज) खनन क्लस्टर परियोजना जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है:-

S.No.	Name of the project proponent	ML NO.	Area (Hect.)	Production capacity	Project Cost(in Cr)
1)	SH. NATHU RAM, SH. NEMA RAM AND SITA DEVI R/O: - Village Basin Kachchhawa, Tehsil: - Merta District-Nagaur (Raj.) Pin- 341024 Email: nathuram042018@outlook.com	4/2018	2.5254	340575 TPA (ROM) (Mineral 73875 TPA, Top Soil-40500 TPA And Waste-226200 TPA)China Clay,	0.60
Mines Granted After 9.9.13					
2)	Sh. Paburam S/o Sh Shimbhuram R/O-135, Village Basin Kachchhawa, Tehsil: - Merta District- Nagaur	03/2021	1.96806	125300 TPA ROM (Sailbble Chaina Clay-62,550TPA, Sailable Silica sand-39060 TPA, Waste-23690 TPA	0.70
3)	Smt. Nandu Kanwar W/o Sh. Bahadur singh	81/2019	1.96885	58001 TPA ROM	2.0
4)	Sh. Govind Singh S/o Sh. Bhanwar Singh Rajput	16/2019	1.68808	428350 TPA ROM	0.50
5)	Sh. Paburam S/o Sh Shimbhuram	03/2021	1.96806	125300 TPA ROM	0.70
6)	Cancel Lease	53/2014	3.98076	0.0	0.0
7)	Smt Sohni devi, Sh. Mahipal Ram	76/19	3.55106	96602TPA ROM	2.5
8)	Sh. Gulab nath & Co-applicant	19/18	2.71705	330030TPA ROM	2.0
9)	Sh. Nathu Ram	11/20	1.12806	40497TPA ROM	1.0
10)	Sh. Nar Singh Ram	95/19	3.97968	89250TPA ROM	2.5
11)	Sh. Rupa Ram	111/19	1.0459	29605TPA ROM	1.0
Mines granted after 9.9.13 with EC					
12)	M/s Jai Baba Mines & Minerals	21/14	4.1592	31850TPA	1.0
13)	M/s Bajrang Clays	25/13	4.2543	34950TPA	0.2
14)	M/s Ujjawal Didel	17/14	4.0085	17375 TPA	0.25
15)	M/s Narayan Ram Jat	12/13	4.108	30000 TPA	0.22
16)	M/s Shankar Ram	38/13	4.2875	22612 TPA	0.25
17)	M/s Baba Bharthari mines & minerals	55/13	4.2257	30000 TPA	0.22
18)	M/s Dharti Dhan Mines	5/14	4.0126	14300 TPA	0.22
19)	M/s Sita Devi	47/13	4.7804	18002 TPA	0.20
20)	M/s Jai Khera Mines & Minerals	60/13	4.784	18008 TPA	0.25
21)	M/s Sati Mata Mines & Minerals	4/14	4.2423	30000 TPA	0.25
22)	M/s Mahalaxmi Mines & Minerals	16/12	4.0	10050 TPA	1.05
23)	Sh. Hira Das	18/2019	1.73	50000 TPA ROM	0.50
24)	Sh. Keilash Dukiya	60/2019	1.0	49793 TPA ROM	0.50
TOTAL			74.1454	18,95,150 TPA ROM	18.13

2. आवेदक श्री नाथुराम, श्री नेमा राम और श्रीमति सीता देवी, एम.एल.नं. 04/2018, कुल क्लस्टर क्षेत्र- 74.1454 हेक्टेयर, (प्रस्तावित खनन् क्षेत्र 2. 5254 हेक्टेयर) अनुमानित खनन उत्पादन क्षमता 340575 टीपीए (रोम)(खनिज- 73875 टीपीए, मिट्टी- 40500 टीपीए और अपशिष्ट- 226200 टीपीए), गांव- बासनी कच्छावा, तहसील-मेड़ता, जिला-नागौर से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक चाईना क्ले (अप्रधान खनिज) क्लस्टर खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
3. और चूंकि मैसर्स श्री नाथुराम, श्री नेमा राम और श्रीमति सीता देवी, ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आषय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
4. उक्त समूह खनन परियोजना से सम्बन्धित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालय में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :-
   1. जिला कलक्टर, नागौर।
   2. CEO जिला परिषद् नागौर ।
   3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर ।
   4. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
   5. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर ।
   6. उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता ।
   7. तहसीलदार, मेड़ता ।
   8. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर।
   9. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर।
   10. ग्राम पंचायत, बासनी कच्छावा।
   11. राजकीय प्राथमिक विद्यालय बासनी कच्छावा, तहसील- मेड़ता, जिला-नागौर।

अतः सर्व साधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक न्याय / प्रदूषण / ज.सु. 2024/3943 दिनांक 19.06.2024 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 29.07.2024 को दोपहर 02:00 बजे, स्थान- राजकीय प्राथमिक विद्यालय बासनी कच्छावा परिसर, तहसील- मेड़ता, जिला-नागौर में उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

इस संबंध में लिखित आक्षेप / सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर, जिला-नागौर को भी दिये जा सकते है।

(सचिन कुमार)
पर्यावरण अभियन्ता एवं क्षेत्रीय अधिकारी

संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जनसुनवाई आयोजित

नागौर (निसं)। जनसुनवाई की त्रिस्तरीय व्यवस्था के अन्तर्गत राज सम्पर्क केन्द्र डीओआईटी में जिला स्तरीय जनसुनवाई संभागीय आयुक्त महेश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता आयोजित की गई। इस मौके पर ने परिवादों को गम्भीरता से सुना और संबंधित विभागीय अधिकारियों को उनके समुचित समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान पुलिस महानिरीक्षक अजमेर लता मनोज कुमार एवं जिला कलक्टर अरूण कुमार पुरोहित भी मौजूद रहे।

इस अवसर पर सम्भागीय आयुक्त शर्मा ने कहा कि जनसुनवाई में प्राप्त परिवेदनाओं पर अधिकारी गम्भीरता के साथ कार्यवाही कर उनका त्वरित एवं गुणवतापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें। क्योंकि यह सरकार की सुशासन की परिकल्पना को साकार करने का एक सशक्त माध्यम है। इस दौरान संभागीय आयुक्त ने ब्लॉक स्तर के वीसी के माध्यम से जनसुनवाई में उपस्थित अधिकारियों को समस्याओं के उपखंड स्तर पर ही समाधान के निर्देश दिए ताकि लोगों को जिला मुख्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़े। उन्होंने कहा कि उपखंड स्तरीय जनसुनवाई में समस्या का समाधान नहीं होने पर ही परिवादी जिला स्तरीय जनसुनवाई में आता है। संभागीय आयुक्त शर्मा ने निर्देश दिए कि सरकारी रास्ते कहीं पर भी बन्द नहीं हो, अतिक्रमण होने पर त्वरित कार्यवाही कर हटाया जाए। वही सरकारी भूमि और औरण गोचर भूमि पर कब्जे की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए राजस्व अधिकारियों को सक्रियता से कार्य करने को कहा। अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई के लिए खनन अभियंता को निर्देशित किया।

इस अवसर पर पुलिस विभाग से संबंधित परिवेदनाओं पर आईजी कुमार ने अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारण कर अवगत कराने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर पुरोहित ने जनसुनवाई में बार बार आने वाली शिकायतो को सूचीबद्ध कर और उनकी प्रभावी मोनिटरिंग करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर पुरोहित ने जनसुनवाई आएं सभी परिवादों की विस्तार से सुनवाई की एवं संबंधित विभागों को निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आमजन की परिवेदनाओं के त्वरित समाधान के लिए त्रिस्तरीय जन सुनवाई की व्यवस्था प्रारम्भ की गई है जिसे गम्भीरता से लेते हुए ब्लॉक स्तरीय अधिकारी ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई का प्रभावी पर्यवेक्षण करें। जिला कलक्टर पुरोहित ने कहा कि आज की जनसुनवाई में प्राप्त प्रकरणों का शीघ्र निपटान किया जाए।

इस जनसुनवाई में राजस्व विभाग के 15, नगर परिषद के 10, पीएचईडी के 11, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास के 7, पीडब्ल्यूडी के 6 सहित कुल 64 परिवाद प्राप्त हुए। जनसुनवाई में सचिवालय जयपुर से एवं जिला प्रभारी सचिव व अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय से पर्यवेक्षण किया गया साथ ही जनसुनवाई में समस्त उपखंड अधिकारी एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी वीसी के माध्यम से एवं सभापति मीतू बोथरा, अतिरिक्त जिला कलक्टर चम्पालाल जीनगर सहित जिला स्तरीय अधिकारी राज सम्पर्क केन्द्र से उपस्थित रहे।

बिरला व्हाईट में योग दिवस समारोहपूर्वक मनाया गया

गोटन (कासं)। उड़ान क्लब संस्थान अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड इकाई बिडला व्हाईट द्वारा क्रिकेट मैदान राजश्री नगर खारिया खंगार में उत्साहपूर्ण भागीदारी के साथ सफलतापूर्वक 10वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। क्लब उड़ान बिडला व्हाइट ने आकर्षक और समृद्ध गतिविधियों की एक श्रृंखला के साथ गर्व से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जो सभी उम्र के सदस्यों को एक साथ लाया। यह आयोजन एक सफल योग सप्ताह के समापन को प्रदर्शित करता है, जो हमारे समुदाय के भीतर स्वास्थ्य व कल्याण और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। इस अवसर पर योग प्रदर्शन एबीपीएस स्कूल के प्रतिभाशाली छात्रों द्वारा योग के लाभ और उसकी सुंदरता को प्रदर्शित करते हुए उत्साहपूर्ण प्रदर्शन किया गया।

यह कार्यक्रम एबीपीएस स्कूल के छात्रों, प्राचार्य, शिक्षकों, एचआर टीम और विभिन्न सहायक कार्यों का एक सहयोगात्मक प्रयास था जो सामुदायिक भावना की शक्ति का प्रदर्शन करता है। कार्यक्रम में उपस्थित सभी भागीदारों ने स्वास्थ्य की भावना को पूरक करते हुए ताजा हर्बल जूस और फलों का आनंद लिया। संस्थान बिड़ला व्हाइट इकाई प्रमुख आलोक निगम और सुरभि महिला मंडल की अध्यक्षा श्रीमती कल्पना निगम को उनके अटूट समर्थन और मार्गदर्शन के लिए विशेष धन्यवाद दिया गया। कार्यक्रम का समापन सम्मानित मुख्य अतिथि बिडला व्हाइट इकाई प्रमुख आलोक निगम, राजेशसिंह आर एण्ड डी प्रमुख एवं हेतराम कुर्रे सचिव क्लब उड़ान बिरला व्हाइट की व्यावहारिक समापन टिप्पणियों के साथ हुआ जिन्होंने हमारे दैनिक जीवन में योग के महत्व पर प्रकाश डाला। क्लब उड़ान स्वास्थ्य, कल्याण और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने वाले ऐसे अदभुत कार्यक्रमों के आयोजन के लिए प्रतिबद्ध है।

ईदगाह में ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया

गोटन (कासं)। कस्बे की ईदगाह में ईद उल अजहा का पर्व ऐहतरमा के साथ मनाया गया। इस मौके पर सरपंच भंवरलाल जमेरिया, टूंकलिया सरपंच रामस्वरूप कसवा, समाजसेवी रविंद्र खोखर, पूर्व सरपंच नारायणसिंह राठौड़, नागरिक सवाईसिंह, पर्वतसिंह, रामराजसिंह, बजरंगसिंह द्वारा जामा मस्जिद शाही इमाम कारी आफताब आलम, मुस्लिम समाज अध्यक्ष बरकत खान का साफा पहना कर मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर इमाम साहब द्वारा देश में अमन और चैन की दुआ की गई और आपसी भाईचारे की दुआ की गई। इस अवसर पर हाजी कमरूदीन, हाजी अलफू, हाजी जवरू, हाजी शेरू, हाजी गनी भदोरा, हाजी अल्लाह्नूर सुन्नी, सलीम साहब, हाजी अजीज, सत्तार साहब, निसार मोहम्मद नोबल, फारुख सिंधी, शेर मोहम्मद एवं समाज के तमाम युवा, नागरिक उपस्थित थे।

सरकार द्वारा युवाओं के हित में लिए गए फैसले से युवाओं में जगा विश्वास

नागौर (निसं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक फैसले लेकर पेपर लीक करने वाले माफिया व भर्ती में धांधली में संलिप्त लोगों पर शिकंजा कँसने की जिस प्रकार कार्रवाई कर रही है उससे युवाओं में विश्वास कायम होने के साथ भविष्य संवरने की उम्मीद जगी है।

राजस्थान विधानसभा 2023 के चुनाव के बाद श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में नवगठित सरकार बनने के बाद से अपने वायदों के अनुरूप युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले पेपर लीक गिरोह व भर्ती में धांधली करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। भजनलाल सरकार द्वारा उठाए गए कठोर कदमों ने न केवल पेपर लीक माफिया की कमर तोड़ी बल्कि भर्ती परीक्षा में ट्रंपैंसी के लिए जो निर्णय लिए है उससे युवाओं में नए उत्साह का संचार हुआ है। एसओजी द्वारा जिस प्रकार फर्जी अभ्यर्थियों व पेपर लीक गिरोह की धरपकड की गई व अब एसआईटी को भी शामिल किया गया है। विगत सरकार के समय हुई पुलिस उप निरीक्षक भर्ती में नकल करके नियुक्त होने वाले अभ्यर्थियों को वर्तमान सरकार द्वारा टीम गठित कर उनके ट्रेनिंग पिरियड के दौरान ही दबोच कर उनकी ट्रेनिंग को रद्द करके कानूनी कार्रवाई की है।

लोकसभा चुनाव के तत्काल बाद राजस्थान की भजनलाल सरकार ने युवाओं के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के समय सरकारी विभागों में हुई भर्तियों की जांच करवाने का निर्णय लिया है जिनमें पिछले 5 साल में सभी भर्तियों के चयनित कार्मिकों के शैक्षणिक दस्तावेजों की जांच की जाएगी। इन 5 सालों के दौरान विभिन्न विभागों में करीब ढाई लाख भर्तियां हुई है वो सभी जांच के दायरे में रहेगी। राजस्थान में 2019 के बाद से हर साल औसतन तीन पेपर लीक हुए हैं। इससे लगभग 50 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड हुआ। पुलिस जांच में यह पाया गया कि लीक हुए प्रश्नपत्र 5 से 15 लाख रुपये में बिके है जो ये पेपर नहीं बल्कि युवाओं के सपनों बेचने जैसा कृत्य था। अब युवाओं में भजनलाल सरकार के कडे फैसलों से न्याय की किरण नजर आने लगी है। अब हर विभाग में एक इंटरनल कमेटी बनाए जाने के निर्देश दिए हैं जिससे दूध का दूध और पानी का पानी सामने आएगा। प्रदेश के दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों एवं छोटे कस्बों से अपने घर को छोडकर जयपुर, कोटा व अन्य शहरों में कोचिंग कर रहे बडी संख्या में युवा अपने माता-पिता के सपनों को साकार करने एवं अपना भविष्य संवारने के लिए अपने माता-पिता की गाढी कमाई का पैसा भर्तियों व कोचिंगों की फीस में भरकर अध्ययन करते हैं दिन-रात पढाई करने के बाद भी चिटिंग के कारण सफल नहीं होने पर बडी संख्या में युवा निराशा, हताशा एवं डिप्रेसन के शिकार होने के साथ-साथ अपने आपको ठगा हुआ महसूस करने लगे थे।

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड़, पुलिस लाइन के सामने,
नागौर- 341001 (राज.), इ-मेल-rorpcb.nagaur@gmail.com

LiFE Lifestyle for Environment

क्रमांकः- राप्रनिम / आरओ-नागौर/पी. यू.बी. - 188 / दिनांकः

पर्यावरणीय स्वीकृति चाईना क्ले (अप्रधान खनिज) खनन क्लस्टर परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि "प्रस्तावित चाईना क्ले (अप्रधान खनिज) खनन क्लस्टर परियोजना जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है:-

Sr. No.	Lease	ML No	Plot No	Area	ROM (TPA)
1	Sh. Gaje Singh S/o Sh. Madhu Singh	45.2022	60	1.2248	89,724
2	M/s A.R.G. Enterprises (Prop. Sh. Harshit Godara)	10.2022	56	1.2458	155,175
3	Smt. Sukhi Devi W/o Sh. Nimba Ram	11.2022	57	1.1568	143,250
4	M/s A.R.G. Enterprises (Prop. Sh. Harshit Godara)	41.2022	53	1.0647	94,375
5	M/s A.R.G. Enterprises (Prop. Sh. Harshit Godara)	42.2022	54	1.0914	91,250
6	M/s A.R.G. Enterprises (Prop. Sh. Harshit Godara)	43.2022	55	1.3041	119,125
7	Sh. Babu Lal Khadav	44.2022	-	1.2490	-
8	Sh. Babu Lal Khadav	46.2022	-	1.1230	-
9	Sh. Babu Lal Khadav	47.2022	-	1.0930	-
	Total			**10.5526**	**692,899**

1. आवेदक मैसर्स श्री गजे सिंह पुत्र श्री मधु सिंह, एम.एल.नं. 45/2022, कुल क्लस्टर क्षेत्र 10.5526 हेक्टेयर, कुल कलस्टर उत्पादन क्षमता-6,92,899, प्रस्तावि खनन क्षेत्र 1.2248 हेक्टेयर, अनुमानित खनन उत्पादन क्षमता 89.724 TPA (ROM) (Saleable Mineral-80,752 TPA, Waste- 8,972 TPA), गांव बाकलियावास, तहसील-मेडता, जिला-नागौर से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक चेजा पत्थर (अप्रधान खनिज) क्लस्ट खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गय है। •
2. और चूंकि मैसर्स श्री गजे सिंह पुत्र श्री मधु सिंह ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जार अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आष की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
3. उक्त समूह खनन परियोजना से सम्बन्धित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है:-
1.जिला कलक्टर, नागौर ।
2. CEO जिला परिषद् नागौर ।
3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
4. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
5.क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर।
6. उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता ।
7. तहसीलदार, मेड़ता ।
8. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर।
8. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर।
10. ग्राम पंचायत, बाकलियावास ।
11. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बाकलियावास, तहसील- मेड़ता, जिला-नागौर।

अतः सर्व साधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक न्याय / प्रदूषण/ज.सु. 2024/3917 दिनां 19.06.2024 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित ज सुनवाई हेतु दिनांक 29.07.2024 को प्रातः 10:00 बजे, स्थान- राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बाकलियावास परिसर, तहसील- मेड़ता, जिला-नागौ में उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

इस संबंध में लिखित आक्षेप / सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर, जिला-नागौर को भी दिये जा सकते है।

(सचिन कुमार)
पर्यावरण अभियन्ता एवं क्षेत्रीय अधिकार

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक, सम्पादक-सोहनसिंह सेवड़ के लिए राजस्थान प्रिंटिंग प्रेस, गोटन से मुद्रित एवं गोटन (नागौर) से प्रकाशित। आर.एन.आई नं. 48456/88, सह सम्पादकः कुन्दनसिंह राजपुरोहित। 9414548386, पीआरबी एक्ट के तहत समस्त समाचारों की जिम्मेदारी संपादक की होगी।

धन्यवाद